

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सुदृढीकरण

प्रत्यर्पण को लेकर भारत का पहले का अप्रोच

- पहले प्रत्यर्पण प्रक्रिया को लेकर भारत का अप्रोच → रिऐक्टिव रहा है
- सबसे बड़ी समस्या थी → प्रत्यर्पण को लेकर पोलिटिकल विल का 'वैक्यूम'
- दुर्भाग्यवश, इस देश ने एक ऐसा समय भी देखा है कि भगौड़े अपराधियों को पकड़ना तो दूर जिनके कारण हजारों मासूम भारतीयों की जान गई
 - उनको रातों रात देश से निकलने में सहायता की गई (भोपाल गैस कांड)
- प्रत्यर्पण के कानून कालबाह्य हो गए थे → केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियाँ थी
- आर्थिक भगौड़ों को पकड़ने, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई पृथक कानून नहीं था
- प्रत्यर्पण का 'ट्रैक रिकॉर्ड' बहुत खराब था
 - वर्ष 2004 से 2013 के बीच → एक वर्ष में औसतन केवल 4 भगौड़ों का प्रत्यर्पण होता था, जबकि 110 अनुरोध लंबित थे
- अधूरे दस्तावेज और धीमी कार्यवाही के कारण प्रत्यर्पण प्रक्रिया बहुत जटिल थी
- विदेशी कोर्ट प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देते थे
- कानूनी एवं न्यायिक बाधाएँ, जैसे
 - दोहरे अभियोजन से बचाव (double jeopardy) और दोहरे अपराध का सिद्धांत (dual criminality) के कारण भारत के अनुरोध रद्द किए जाते थे
- मंत्रालय और विभागों में समन्वय और एकीकृत रणनीति का अभाव था,
 - भगौड़ों की इन्फार्मेशन शेयरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग, "रेड कॉर्नर नोटिस" जारी करने जैसे कार्य धीमी गति से चलते थे।

मोदी जी के नेतृत्व में 2018 के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया में सुधार

- प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रायोरिटी के साथ वर्ष 2018 में भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया, जिससे भगौड़ों पर सख्ती अपनाई गयी और साथ ही उन्हें वापस लाने का मार्ग प्रसशत
- फिर गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भगौड़ों के प्रत्यर्पण को 'नैशनल प्रायोरिटी' बनाया

माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के समय के योगदान और बदलाव

- 2019 से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत ने भगोड़ों के खिलाफ एक इंटीग्रेटेड, इंटेलिजेंस-लेड और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मॉडल तैयार किया है
- माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भगोड़ों के खिलाफ तीन स्तंभों पर जोर दिया:
 - ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी
- पॉलिसी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल तंत्र में सुधार और नवीनतम तकनीक द्वारा
 - व्होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित किया
- गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि भगोड़े अपराधियों का मुद्दा देश की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता, लॉ-एंड-ऑर्डर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।
 - NIA संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया।
 - UAPA संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया।
 - इससे कार्रवाई केवल संगठनों तक सीमित नहीं रही।
 - व्यक्तिगत आतंकी, हैंडलर्स, फंडिंग नेटवर्क और विदेशों में बैठे सपोर्ट सिस्टम तक कार्रवाई का दायरा बढ़ा।
- 2020 के बाद भगोड़ों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को मिशन मोड में आगे बढ़ाया गया।
- 2022 में भारत ने 90^{वीं} इंटरपोल जनरल असेंबली की मेजबानी की।
 - जिसमें गृह मंत्री जी ने वैश्विक पुलिसिंग में “कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन” का संदेश दिया।
- वर्ष 2023 में 3 नए न्यायिक कानूनों: माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 160 वर्ष पुराने कलोनीयल कानूनों को बदलकर → ‘3 नए न्यायिक कानूनों’ को अपनाया ये 21^{वीं} सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है
 - इसमें कई समयोचित बदलाव किए गए, जैसे
 - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के खंड 355 और 356 में पहली बार
 - ‘ट्रायल इन ऐब्सेंसिया’ का प्रावधान भी लाया गया,
 - जिससे भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी
 - ‘ट्रायल से लेकर कन्विक्शन’ तक → सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी

नए कानून में प्रावधान:

- यदि किसी मामले में पहले से दर्ज साक्ष्य या गवाहों के बयान उपलब्ध हैं
 - तो उन्हें भगोड़े अभियुक्त के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में प्रयोग किया जा सकता है
- यदि अभियोजन पक्ष ने कुछ गवाहों के बयान → अभियुक्त के फरार होने से पहले दर्ज कर लिए थे → तो वे बयान वैध बने रहते हैं
- BNSS में पूरी कार्यवाही (विशेषकर गवाहों के बयान) को यथासंभव वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा दर्ज करने का प्रावधान
- धारा 356 में ऑडियो-वीडियो के माध्यम से गवाहों की गवाही रिकॉर्ड करने का प्रावधान
- यदि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है या वो स्वेच्छा से अदालत में उपस्थित होता है → तो गवाहों से पुनः पूछताछ करने का प्रावधान
 - इससे मुकदमे को शुरुआत से दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी
 - साथ ही अभियुक्त को 'नेचुरल जस्टिस' के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा

भारतपोल: भारत और विश्व के बीच इनफार्मेशन शेयरिंग में वृद्धि

- माननीय गृह मंत्री जी द्वारा भारत और वैश्विक एजेंसियों के बीच समन्वय, संपर्क और संवाद बढ़ाने के लिए, जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया
- इंटरपोल के साथ समन्वय और सूचना साझाकरण के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय पोर्टल लांच हुआ
- भारतपोल ने → CBI, राज्य पुलिस मुख्यालय (ILO) और जिला पुलिस मुख्यालय को एकीकृत करके एक व्यापक इनफार्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किया
- 1,400 से अधिक राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के यूनिट ऑफिस पोर्टल से जोड़कर
 - सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित कर रहे हैं
- इसके कारण, CBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच
 - इनफार्मेशन शेयरिंग के रिस्पॉन्स टाइम में भारी कमी आई है
- आज CBI द्वारा मांगी गई जानकारी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा
 - 10 से 20 दिनों में और कुछ मामलों में मात्र 3 से 10 दिनों में साझा कर दी जाती है

- माननीय गृह मंत्री जी ने इस दिशा में कुल 5 महत्वपूर्ण बैठकें की हैं
- मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) को सख्ती से लागू किया गया
- वित्तीय वर्ष 2019 से 2026-27 तक:
 - कुल जब्ती (Confiscation): ₹17,874 करोड़
 - कुल प्रत्यावर्तन (Restitution): ₹18,762 करोड़
 - इनमें से ₹18,762 करोड़ की वापसी उन मामलों में हुई है जिनमें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, अर्थात ऐसे आर्थिक अपराधी जो भारत छोड़कर भाग गए थे, शामिल थे।
- CBI ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगोड़ों को पकड़ने के लिए विशेष ग्लोबल ऑपरेशन्स सेंटर स्थापित
 - यह केंद्र इंटरपोल के माध्यम से दुनिया भर की पुलिस से रियल-टाइम समन्वय।
- सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान हेतु हर राज्य व केंद्रीय जांच एजेंसी में CBI ने इंटरपोल सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए
- साथ ही, इंटरपोल द्वारा 'रेड नोटिस' प्रकाशन में वृद्धि सुनिश्चित हुई है
 - वर्ष 2022 में → 40, वर्ष 2023 में → 100, वर्ष 2024 में → 107, वर्ष 2025 में → 112, और 2026 (अभी तक) में → 182 रेड कार्नर नोटिस प्रकाशित हुए
- पिछले 3 वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध रेड कार्नर नोटिस प्रकाशित हुए

अपराध श्रेणी	2026	2025	2024	कुल
धोखाधड़ी / फ्रॉड / वित्तीय अपराध	57	26	32	115
आतंकी गतिविधि / राष्ट्र-विरोधी गतिविधि / नार्को-टेरर	12	11	19	42
संगठित अपराध / गैंगस्टर / एक्सटॉर्शन	15	11	10	36
हत्या / डकैती / हिंसक अपराध	42	30	18	90
यौन अपराध / रेप / POC SO / सेक्शुअल ऑफेंस	6	1	7	14
नार्कोटिक्स / NDPS / ड्रग ट्रेफिकिंग	24	18	10	52
स्मगलिंग / फेक करेंसी / साइबर / कंट्राबैंड	2	2	1	5
मानव तस्करी / किडनैपिंग	2	2	1	5
अन्य	22	11	9	42
कुल	182	112	107	401

• 2019 से 2026 तक 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया गया।

• वर्षवार वापस लाए गए भगोड़े

अपराध श्रेणी	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (जुलाई तक)	कुल
धोखाधड़ी / वित्तीय अपराध	-	-	-	01	-	04	03	01	09
आतंकवादी गतिविधियाँ / राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ / नार्को-आतंकवाद	-	-	01	04	02	04	05	01	17
संगठित अपराध / गैंगस्टर / रंगदारी	01	01	-	04	03	05	14	14	42
हत्या / डकैती / हिंसक अपराध	06	06	03	11	07	11	09	09	62
यौन अपराध / दुष्कर्म / पॉक्सो (POCSO)	02	-	04	13	04	15	13	02	53
मादक पदार्थ / एनडीपीएस / ड्रग तस्करी	-	-	02	01	-	01	07	05	16
तस्करी / जाली मुद्रा / साइबर	-	-	04	02	-	02	02	02	1

अपराध श्रेणी	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	2026 (जुलाई तक)	कुल
अपराध / प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी									2
मानव तस्करी / अपहरण	-	-	01	01	04	01	08	03	18
अन्य	-	-	08	03	17	00	09	08	45
कुल	09	07	23	40	37	43	70	45	274

- **‘ऑपरेशन त्रिशूल’ → भगोड़ों की जियो-लोकेशन ट्रैक करने के लिए चलाया**
 - इंटरपोल के सहयोग से छिपे हुए अपराधियों की सैटेलाइट, सर्विलांस, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर लोकेशन स्थापित की गई
 - भगोड़ों द्वारा विदेश में नाम या पहचान बदल ली थी, फिर भी तकनीक और प्रोफाइल-मैपिंग के ज़रिये उन्हें खोज निकाला गया
 - प्रत्यर्पण प्रक्रिया तेज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई जैसी तकनीकों का भी उपयोग हुआ
- **माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में प्रत्यर्पण अनुरोधों को अधिक पेशेवर और मानक प्रारूप में तैयार करना शुरू किया गया →**
 - हर देश की दस्तावेज आवश्यकताओं और कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लिखित आश्वासन दिए गए ।

- कम-से-कम 36 देशों/जूरिस्टिक्शन्स से भगोड़ों को वापस लाया गया और लगभग 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उन्हें रिसीव किया।
- वापस लाए गए भगोड़ों में **टेररिस्ट, गैंगस्टर, फाइनेंशियल ऑफेंडर्स, नार्कोटिक्स आरोपी, मर्डर, रेप और पॉक्सो मामलों के वांछित** शामिल हैं।
- यह अभियान **टेररिज्म, प्रो-खालिस्तान एक्स्ट्रीमिज्म, गैंगस्टर-टेरर कन्वर्जेंस, नार्कोटिक्स, साइबर फ्रॉड और फेक करेंसी तक फैला है।**
- **तहव्वुर हुसैन राणा** का अमेरिका से एक्स्ट्राडिशन भारत के संकल्प और जटिल टेरर मामलों में धैर्यपूर्ण **लीगल-डिप्लोमैटिक** प्रयास का बड़ा उदाहरण है।
- जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामलों में विदेशों में बैठे भगोड़ों का उपयोग टेरर, नार्को-टेरर और क्रॉस-बॉर्डर सपोर्ट नेटवर्क को चलाने में हो रहा था।
- **मोहम्मद अरशद, मोहम्मद रफी नाजर, इम्तियाज खांडू और फारूक नाइकू** जैसे मामलों ने जेएंडके टेरर नेटवर्क के बाहरी सपोर्ट सिस्टम पर सीधा प्रहार किया।
- **PFI से जुड़े भगोड़ों की वापसी** ने फंडिंग, रेडिकलाइजेशन और विदेशों में बने सेफ हेवन के इकोसिस्टम को डिसरुप्ट किया।
- अब्दुल रहमान, मोहम्मद सज्जाद आलम, कोदजे मोहम्मद शरीफ और मोहम्मद गौस नयाजी जैसे मामलों ने एक्स्ट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर दबाव बढ़ाया।
- **प्रो-खालिस्तान, गैंगस्टर-टेरर और ऑर्गनाइज्ड क्राइम के ओवरलैप** पर कार्रवाई भारत की **फ्यूजिटिव स्ट्रेटेजी** की बड़ी उपलब्धि है।
- राजबीर सिंह, परमिंदर सिंह पिंडी, बलजीत सिंह और रमनजीत सिंह जैसे मामलों ने विदेशों से भारत में हिंसा को सपोर्ट करने वाले नेटवर्क को कमजोर किया।
- गैंगस्टर मामलों में अनमोल बिश्रोई, अमन भैंसवाल, अक्षय बिश्रोई, अंकित बिश्रोई, सचिन बिश्रोई और विक्रम बराड़ की वापसी से डिटरेंस मजबूत हुआ।
- इन मामलों ने स्पष्ट किया कि विदेशी लोकेशन भारत के भीतर हिंसा चलाने का कमांड सेंटर नहीं बन सकती।

- **नार्कोटिक्स और नार्को-टेरर** मामलों में **लॉ-एन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी** का संयुक्त उपयोग प्रभावी सिद्ध हुआ।
- सलीम डोला, शेख निसार अहमद, ताहेर सलीम डोला, नवीन चीचकर और लिजो जोस जैसे मामलों ने ड्रग ट्रेफिकिंग को ट्रांसनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में स्थापित किया।
- नेपाल से जुड़े मामलों ने ओपन-बॉर्डर, क्रॉस-बॉर्डर क्राइम और पड़ोसी देशों के साथ ऑपरेशनल ट्रस्ट की अहमियत दिखाई।
- नेपाल से ऑपरेट कर रहे साइबर क्रिमिनल नेटवर्क में 19 गिरफ्तारियाँ और 15 डिपोर्टेशन इंटेलिजेंस-लेड कोऑर्डिनेशन की बड़ी सफलता है।
- फेक करेंसी, मनी म्यूल्स, रॉबरी, नार्कोटिक्स, मर्डर और गैंगस्टर मामलों में नेपाल-आधारित कोऑर्डिनेशन उपयोगी रहा।
- इकोनॉमिक ऑफेंसेज और फ्रॉड मामलों में अक्षित खंडेलवाल, हर्षित जैन, मोनिका कपूर, अंगद सिंह और सुभाष परब की वापसी ने रणनीति का दायरा बढ़ाया।
- आर्थिक अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली देरी, दूरी और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी को अब प्रभावी कोऑर्डिनेशन से कमजोर किया जा रहा है।
- गंभीर अपराधों में त्वरित वापसी, जैसे लूथरा ब्रदर्स और शाहुल हमीद के मामले, जनता और पीड़ित परिवारों के विश्वास को मजबूत करते हैं।
- रेप, पॉक्सो और गंभीर अपराधों के आरोपियों की वापसी ने एलओसी और इंटरपोल चैनल्स की उपयोगिता को साबित किया।
- यूएई, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अमेरिका, यूके, जर्मनी, कतर, बहरीन, ओमान और अन्य देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण रहा।
- सफलता का आधार केवल संयोग नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, लीगल तैयारी, डिप्लोमैटिक पर्सिस्टेंस और सतत फॉलो-अप है।
- डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन में **IB, CBI, राँ, NIA, ED, MEA, NCB, DGGI** और राज्य पुलिस की साझा भूमिका रही।
 - यह मॉडल **“Whole of Government”** को दर्शाता है, जहाँ केंद्र और राज्य एजेंसियाँ मिलकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाती हैं।

- जनवरी 2026 में IB के **मल्टी एजेंसी सेंटर** (MAC) के तहत स्टैंडिंग फोकस ग्रुप का गठन महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है।
 - यह ग्रुप फ्यूजिटिव प्रायोरिटी, डॉसियर स्टैंडर्डाइजेशन, सूचना गैप हटाने, विदेशी पार्टनर्स से फॉलो-अप और राज्य मामलों को राष्ट्रीय समर्थन देता है।
 - विदेशों में बैठे भगोड़े निष्क्रिय केस-फाइल्स नहीं, बल्कि लाइव ऑपरेशनल थ्रेट्स हैं।
- हर सफल वापसी जनता का विश्वास बढ़ाती है, पीड़ितों को सहारा देती है, प्रॉसिक्यूशन को मजबूत करती है और नेटवर्क्स का मनोबल तोड़ती है।
- मूल संदेश स्पष्ट है → भारत धैर्य, प्रोफेशनलिज्म और दृढ़ संकल्प के साथ सीमाओं के पार जाकर भी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगा।